न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 65/2021 बउनवानी श्रीराम मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री रामसहाय मीना निवासी करौली रोड़ प्रभाव स्कूल के पीछे सालोदा गंगापुर सिटी
GCMS No-2021/165

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
27.8.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 10.3.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. नकल श्री श्रीराम मीना क0लिपिक राजस्व विभाग के उपकोष खण्डार के ऋण खाता संख्या 51999867368 गृह ऋण खाते में आपके कार्यालय से स्टेट बैंक शाखा सचिवालय मे जमा करायी गयी कटौती राशि का मई,2016 से मार्च,2018 तक विवरण की नकल 2. खाता संख्या 51999867368 मे जमा कराने हेतु किस किस दिनांक को कितनी कितनी राशि वेतन से कटौती की गयी है उसका सम्पूर्ण विवरण की नकल। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/335 दिनांक 19.8.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.3.2021 के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना कोषाधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 329 दिनांक 6.8.2021 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.3.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 पर (चाही गयी कटौती माह मई,2016 से मार्च,2018) की सूचना कोषाधिकारी सव[illegible]दिनांक 6.8.2021 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। यद्यपि बिन[illegible] की सूचन प्रश्नात्मक है किन्तु उक्त सूचना भी बिन्दु संख्या 1 क[illegible] गयी सूचना मे समाहित है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज [illegible] फैसल शुमार होक[illegible]र से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। [illegible]देश खुले न्यायालय [illegible]ाया गया। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:16 IST
Reason: SelfAttested